द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/668/2014

डॉ प्रतिभा खोसला, **– अपीलार्थी**
द्वारा मकान नं0 1285,
रणजीत नगर, खरार,
जिला मोहाली, पंजाब,

विरूद्ध

डॉ0 पंकज टेम्भूर्णीकर, **– उत्तरवादी क्रं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

डॉ0 एस0के0 मोहन्ती, **– उत्तरवादी क्रं 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

(आदेश पारित दिनांक : 22/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी डॉ0 प्रतिभा खोसला द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत (उत्तरवादी क्रं0 01) डॉ0 पंकज टेम्भूर्णीकर, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) तथा (उत्तरवादी क्रं0 02) डॉ0 एस0के0 मोहन्ती, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 18.7.2013 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से 05 बिंदुओ में सूचना/जानकारी चाही थी। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 16.9.2013 प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील के पश्चात् भी जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी अनुपस्थित रहीं। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। उत्तरवादी श्री पंकज टेम्भुर्णीकर के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्हें सुना भी गया।

जवाब में लेख है कि अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 23.7.2013 को प्राप्त हुआ तथा आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी स्थापना/प्रशासन विभाग सिम्स, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार कार्यालय के पत्र क्रमांक/218/ सिम्स/सूप्र./13 बिलासपुर दिनांक 24 जुलाई 2013 द्वारा तत्काल 03 दिनों के भीतर जानकारी मांगी गई (इस पत्र की प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है) प्रभारी स्थापना प्रशासन द्वारा 14 अगस्त 2013 को जानकारी प्रेषित की गई जो सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय को 16 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई तथा इसी जानकारी को पत्र दिनांक 16 अगस्त 2013 द्वारा आवेदिका को

प्रेषित की गई। इस प्रकार उन्होंने अधिनियम में निर्धारित अवधि में सूचना दे दी थी। उन्हें सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने जो सूचना/जानकारी मांगी थी वह निम्नानुसार है :–

1. **Certified copies of all the complaints which have been mad by any officer as well as employee of department of pharmacology, CIIMS Bilaspur, Chhattisgarh since july 2008 to till date ie. 18 july 2013 along with copy of page of diary register of Dean office through which it was recieved.**
2. **Certified copies of all the complaints which have been received against any officer as well as employee of department of pharmacology, CIIMS Bilaspur, Chhattisgarh since july 2008 to till date ie. 18 july 2013 along with copy of page of diary register of Dean office through which it was recieved.**
3. **Certified copy of procedure followed during decision making process in such complaints by the CIIMS Authorities alongwith certified copies of orders passed if any along with certified copy of page of despetch register of Dean office through which it was recieved.**
4. **Copies of all the complaints which have been received against the Dr. Punima Raj, Contractual Associate Professor com HOD, department of pharmacology, CIIMS Bilaspur, Chhattisgarh since july 2008 to till date ie. 18 july 2013 along with copy of page of diary register of Dean office through which it was recieved.**
5. **Copies of all the complaints which have been received against the Dr. Pratibha Khosala, Assistant Professor com HOD, department of pharmacology, CIIMS Bilaspur, Chhattisgarh since july 2008 to till date ie. 18 july 2013 along with copy of page of diary register of Dean office through which it was recieved.**

अपीलार्थी को जो सूचना दी गई वह यह थी कि अधिष्ठाता के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई है जो दोनों पक्षों के बयान उपरांत जांच कमेटी द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपे जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सूचना मांगने के आवेदन के प्रथम 04 बिंदुओं में अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबध में सूचना/जानकारी चाही थी और की जाने वाली जांच की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी चाही थी। बिंदु क्रमांक 05 में उन्होंने स्वयं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतिलिपि चाही थी। चूंकि आवेदन में ऐसे व्यक्ति के नाम नहीं लिखे हैं जिनके विरूद्ध शिकायतें की गई हैं। अतः उन्हें बुलाकर सुनना संभव नहीं था।

वांछित सूचना के बिंदु क्रमांक 01, 02 तथा 04 अन्य व्यक्तियों की शिकायतों के संबंध में है। मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने **Girish Ramchandra Deshpande Vs. Central Information Commissioner & Ors. [S.L.P. (Civil) No. 27734 of 2012/ CC 14781/2012], में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है एवं निर्णय दिया है :–**

"The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. The Supreme court further held that sich information could be disclosed only if it would serve a larger public interest.

उपरोक्त न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए सेंन्ट्रल इंफार्मेशन कमीशन, नई दिल्ली ने प्रकरण **Central Information Commission, New Delhi, File No.CIC/SM/A/2013/000058, Sh. Manoj Arya, v/s Central Public Information Officer, Cabinet Secretariat,** में निम्नानुसार पाया है :–

"In this connection, it is very pertinent to cite the decision of the Supreme Court of India in the SLP(C) No. 27734 of 2012 (Girish R Deshpande vs CIC and others) in which it has held that "the performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual." The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest."

अतः वांछित सूचना के बिंदु क्रमांक 1, 2 तथा 4 के संबंध में उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत ये वांछित सूचनायें देना उचित नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में यह तो लिखा है कि ''**In public interest at large**'' में मांगी जा रही है परंतु ये वांछित सूचनाऐं व्यापक लोकहित में किस प्रकार हैं यह स्पष्ट नहीं किया है। केवल पब्लिक इंट्रेस्ट में सूचना मांगी जा रही है यह लिखना पर्याप्त नहीं है उसे सिद्ध भी करना होगा कि मांगी गई सूचना किस प्रकार व्यापक लोकहित में है। अपीलार्थी अपने आवेदन या अपील आवेदन में ऐसा सिद्ध करने में असफल रही हैं। वे स्वयं भी उपस्थित नहीं हुई। अतः बिंदु क्रमांक 01, 02 एवं 04 की जानकारी देना अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत दिये जाने का आदेश देना संभव नहीं है। बिंदु क्रमांक 03 के संबंध में उत्तरवादी का कथन था कि शिकायतों की जांच की कोई निश्चित प्रक्रिया का अभिलेख नहीं है जो उत्तर अपीलार्थी को दिया गया है उसमें उन्हें बता दिया गया है कि जांच समिति गठित की गई है जिसे प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जायेगा। यह दी गई सूचना/जानकारी संतोषजनक है। क्योंकि प्रतिलिपियां उन्हीं अभिलेखों की दी जा सकती हैं जो रिकार्ड में उपलब्ध हो और ऐसा कोई अभिलेख होने से उत्तरवादी ने इंकार किया है।

जहां तक बिंदु क्रमांक 05 की सूचना/जानकारी का प्रश्न है वह अपीलार्थी की स्वयं की शिकायत से संबंधित है। अतः इसे अपीलार्थी को प्राप्त करने का हक है। अतः यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वांछित सूचना के बिंदु क्रमांक 05 के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से संबंधित जो भी शिकायतें बिंदु क्रमांक 05 में आवेदन में उल्लिखित अवधि में प्राप्त हुए हैं। उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा उनकी प्राप्ति के संबंध में डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त